03/01/18

अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला ने अभियुक्त मनोज की ओर से शीघ्र सुनवाई आवेदन पेशकर प्रकरण आज पेशी में लिए जाने का निवेदन किया। आवेदन स्वीकार कर प्रकरण आज पेशी में लिया गया।

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला उप0। उन्होंने अभियुक्त की ओर से मेमो पेश किया।

फरियादी उम्मेद सहित अधिवक्ता श्री एच०एस० शुक्ला। उन्होंने अधिक फरियादी की ओर से मेमो पेश किया। 1000 का की का काल का का का

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320–2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त, पहचान संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री एच एस शुक्ला एव अभियुक्त की पहचान उसके अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दब ब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जना प्रकट किया है। फरियादी का राजीनामा कथन उसके निवेदन पर अंकित कर या गया।

अभियुक्त पर भा०द०वि० की धारा 294, 323 ,506 भाग—2 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जिसमें से धारा 294, 506 बी न्यायालय की January Shukla)

o de la formande

GRPG-138-Forms-23-7-16-4,00,000 Forms.

## Order Sheet [Contd]

Date of Order or Proceeding Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

अनुमित से शमनीय है जबिक शेष स्वयं फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 323 एवं 506 भाग—2 भाठदठविठ के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है। आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण मे जप्त शुदा संपत्ति नही है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख मे दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

Judicial Magistrate First class Gohad distribhind (M.P.)